(9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 54 / 2025 दायर दिनांकः 23.04.2025

उनवान

1. कन्हीराम पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
2. रामनारायण पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
3. श्यामलाल पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
4. मोतीलाल पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
5. मनोहरलाल पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
6. मांगीबाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
7. मेहताबबाई पत्नि देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल

— प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दराम पि. देवीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
2. गुडडीबाई पुत्री परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
3. प्रकाशचन्द पि. परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
4. भगवानसिंह पि. परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
5. भवानीलाल पि. जानकीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
6. रामस्वरूपबाई पत्नि हरीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
7. शम्भूसिंह पि. देवीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
8. सोहनबाई पुत्री परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण—

अभिभाषक प्रार्थीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत

अभिभाषक अप्रार्थीगण — श्री रमेशचन्द मेघवाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

निर्णय दिनाक: 14.05.2026

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भू.प्रबंध अधिकारी कोटा से रिमाण्ड होकर पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, खातेदारी की आराजी, खसरा सं. 37 रकबा 1.4417 हैक्टेयर भूमि ग्राम सामिया में स्थित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खसरा सं. 37 रकबा 1.4417 हैक्टेयर भूमि के रास्ते के लिए पेश कर रहे हैं। यह कि अप्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि खसरा सं. 709/28 रकबा 1.5176 हैक्टेयर भूमि हैं। जिसमें निकलकर प्रार्थीगण अपने खसरा सं० 37 में पहुँचते हैं। यह कि प्रार्थीगण का रास्ता खसरा सं. 28 पर हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है–रास्ता गाँव सामिया से पूर्व से पश्चिम में चलकर खसरा सं. 34, 709/28 के उत्तर की मेड़ के सहारे आगे जा रहा है। इस रास्ते से प्रार्थीगण अपने खसरा सं. 37 के पश्चिमी भाग पर उत्तर से दक्षिण चलकर पुनः घूमकर खसरा सं. 709/28 की दक्षिणी मेड़ से धोकर प्रार्थीगण खसरा सं. 37 में प्रवेश करते हैं। यह रास्ता पिछले लगभग 70 वर्षों से विधमान हैं। जिसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट है जिसका उपयोग सनातन काल से प्रार्थीगण अपने जानवरों को लाने, है, जाने ट्रैक्टर–ट्रॉली कृषि औजार, बैलगाड़ी, सामद, निकालते हैं। पफसल लेकर आते हैं। खाद बीज लेकर जाते हैं। पैदल, कदीमी रास्ते का उपयोग करते हैं। इस रास्ते को पूर्व खातेदार भवानीलाल पुत्रणउनके वारीसान ने कभी भी किसी भी क्षण मात्र को भी बन्द नहीं किया तथा खरीददारों ने भी खरीद की तारीख से इस कृषि वर्ष तक बन्द, रोक, अवरोध नहीं किया है। अप्रार्थीगण की जानकारी इल्म, जन–सामान्य को भी इसी रास्ते का ज्ञान हैं। सन् 1977 में अप्रार्थीगण ने आराजी खरीद की हैं। इस अवधि को भी लगभग 45 वर्ष व्यतीत हो गये [illegible] से रास्ता चालू उपयोगी है। रास्ता का विस्तृत विवरण परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में किया है। जिसे विन्दु A, B, C से दर्शाया है। यह कि प्रार्थीगण का सनातनी रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 03 में स्थित रास्ता ही एक मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता खसरा नं. 37 पर पहुँचने के लिए मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस सनातनी रास्ते को रोकने अवरूद्ध करने के लिए अप्रार्थीगण ने खाई लगा दी है। तथा भूमि के धरातल को असामान्य कर दिया है। अप्रार्थीगण की सोच रही हैं कि धरातल असामान्य करने, खाई लगाने से रास्ता का धरातल एक समान समतल नहीं रहकर रास्ते के लायक नहीं होने से प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग छोड़ देगें। अप्रार्थीगण की यह सोच दूषित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध करने पर अमादा होकर मेहन्दी लगाकर रास्ते की चौड़ाई कम करने की सोच रखते हैं। अप्रार्थीगण का कार्य अविधिपूर्ण है। यह कि वर्तमान में प्रार्थीगण रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु प्रतिदिन उपयोग करते समय, निकलते समय कृषि औजार लाते. ले, जाते समय, जानवारों को खेत पर लाने ले जाने पर आप्रार्थीगण लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। रास्ते में मिट्टी डाल देते हैं। पत्थर ढाल देते हैं। तथा इसी दूषित प्रक्रिया के तहत प्रयास रत रहते हैं। कि किसी भी रूप में रास्ता अवरूद्ध हो जाये। विवाद उत्पन्न हो जायें, झगड़ा प्रारम्भ हो जायें। तो अप्रार्थीगण पुलिस से सांठ–गांठ कर पुलिस के दबाव से रास्ता बन्द करवा देवें। परन्तु प्रार्थीगण ऐसा कोई भी विवाद झगड़ा प्रारम्भ नहीं करते हैं। शान्त होकर रास्ते से आते जाते हैं। अपनी आराजी पर काश्ते करते हैं। तथा प्रयास करते है कि विवाद नहीं होकर रास्ता चालू रहें। यह कि प्रार्थीगण ने रास्ते के लिए तहसीलदार सुनेल को प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार सुनेल के आदेश पर हल्का पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जाकर दिनांक 11.06.2022 को रास्ता देखा, पड़ौसी काश्तकार, गांव वासियों की उपथिति रिपोर्ट बनाई, समझाइश की गई। परन्तु बाद में अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द करने की नीयत से विवाद प्रारम्भ कर दिया तथा कहने लगा कि यहाँ पर निकलने का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा। प्रार्थी[illegible] कारण प्रार्थीगण 15 फीट की चौड़ाई का [illegible] पूर्व पश्चिम प्रार्थीगण के खत्तरा सं० 37[illegible] का मुआवजा राशि चुकाकर रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अन्य विकल्प नही है तथा यही एक मात्र रास्ता जो है जो सुगमता से खसरा सं. 37 तक पहुँच सकता हैं। इस कारण प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में धारा 251ए R-T-ACT के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि प्रार्थीगण को प्राप्त रास्ता भविष्य काल में कालान्तर तक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होकर अमल हो सके तथा हमेशा हमेशा का विवाद समाप्त हो सके तथा प्राधर्थीगण अपने खसरा सं. 37 पर सुविधानुसार काश्त कर सके। अपने जानवरों को लाने, ले, जाने, ट्रैक्टर–ट्रॉली, कृषि औजार, बैलगाड़ी, सामद, फसल लेकर आते, खाद बीज लेकर जाते है, यह रास्ता काश्तकारी के लिए अति आवश्यक हैं। यह कि प्रार्थीगण ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किये है ग्राम पंचायत सामिया से भी निवेदन प्रार्थना की हैं। उनके द्वारा भी मौका देखा गया परन्तु विवाद का सामाधान नहीं हो सका तथा लड़ाई–झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होने लगी। रास्ते की चौड़ाई 15 फीट से कम करने की नियत से अप्रार्थीगण ने मिट्टी डाल दी इस कारण प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि खतरा सं. 709/28 जिसका पुराना खसरा सं. 28 हैं। इसमें दक्षिण दिशा की और 15 फीट चौड़ा रास्ता परिशिष्ट अ में बी से सी बिन्दु तक दर्शाया है। यह रास्ता धारा 251ए R-T-ACT तहत माननीय न्यायालय से रास्ता प्राप्त कर पूर्ण चौड़ाई 15 फीट की समस्त अवरोध हटाकर रास्ते का ईन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके इस रास्ते की भूमि की राशि डी. एल. सी की दर से प्रार्थीगण जमा करने को तत्पर व तैयार है। यह कि वाद कारण 01 माह पूर्व हुआ है। अगणनेप्रार्थना पत्र के चरण कमांक 03 पूर्व परिशिष्ट अ के विन्दु से रास्ते को रोकने का प्रयास किया विवाद उत्पन्न किया यही वाद कारण रहा है। यह कि विवादित्त, भूमि, रास्ता, प्राचीगण आगम के खातेदारी की भूमि ग्राम सामिया तहसील सुनेल में स्थित होने माननीय न्यायालय की सुनवाई कर सीत्राधिकार प्राप्त है। यह कि माननीय न्यायालय में धारा 251 ए R-T-ACT के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र की सुनवाई एवं निर्णय का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्राचीगण माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते है कि बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के खसरा सं. 37 पर पहुंचने के लिए खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

नं. 709/28 पर रास्ता 16 फीट की चौड़ाई का रास्ता परिशिष्ट अ बी से सी बिन्दु स्थान पर पूर्ण लम्बाई चौडाई जरिये तहसीलदार सुनेल सीमांकन करवा कर प्रार्थीगण से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का मुआवजा जी. एल. सी की दर से जमा करवा कर रास्ता अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का आदेशधनिर्णय पारित करने की कृपा करे अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित अतिरिक्त आवश्यक हो प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान कि जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.1 राजस्व रेकार्ड के अनुसार है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.2 गलत है तथा अस्वीकार है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। गलत है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 37 का रास्ता खसरा नं. 709/28 पर होकर हो। यह भी गलत है कि रास्ता 70 वर्षों से हो। सही तथ्य यह है कि मौके पर मेहन्दी की बागर लगी है तथा कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। नजरी नक्शा में वर्णित रास्ता गलत है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.4 गलत है। मौके पर हमेशा से मेहन्दी की बागर लगी है तथा कोई रास्ता नहीं रहा है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.5 गलत है तथा अस्वीकार है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.6 गलत है तथा अस्वीकार है। यदि अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर 15 फिट चौड़ाई का रास्ता दे दिया गया तो अप्रार्थीगण की आराजी बर्बाद हो जावेंगी। धारा 251ए आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं. 7 गलत है तथा अस्वीकार है। धारा 251ए आर.टी. एक्ट में राजस्व रेकार्ड में रास्ता इन्द्राज करने का प्रावधान नहीं है ना ही नया रास्ता कायम किया जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण का प्रचलित रास्ता अन्य जगह मौजूद है। प्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर से राशि स्वीकार्य नहीं है इससे भूमि की बर्बादी की भरपाई संभव नहीं है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं. 8 गलत है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.9 कानूनी है। यह कि प्रार्थनापत्र का पेरा नं.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कानूनी है। **विशेष आपत्तियां–** यह कि मौके पर ना तो प्रार्थीगण की आराजी पर जाने का प्रचलित रास्ता है और ना ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है। अप्रार्थीगण की आराजी पर मेहन्दी की बागर हो रही है। इस बात का उल्लेख पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी है। मौका रिपोर्ट में यह भी आया है कि रास्ते पर मोहरम डाल कर रास्ता बना लिया जायेगा। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं.37 पर जाने आने का रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नं. 709/28 पर होकर नहीं रहा है। यह कि धारा 251ए आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत आसामी की आराजी पर जाने आने की आवश्यकता अत्यन्तिक आवश्यकता हो के सम्बन्ध में प्रावधान है ना की उसके जोत के सुविधाजनक उपयोग उपभोग हेतु प्रावधान है। जबकि प्रार्थीगण का अन्यत्र वैकल्पिक रास्ता हमेशा से रहा है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजी से होकर 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है तथा डी.एल.सी.दर से राशि भुगतान करने का वर्णन किया है। यदि इस आधार पर अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर 15 फिट चौड़ा रास्ता दे दिया गया तो अप्रार्थीगण की आराजी बर्बाद हो जावेगी। जिसकी भरपाई डी.एल.सी.दर राशि से अथवा किसी भी तरह से संभव नहीं है। यह कि प्राथर्थीगण के खेत खसरा नं.37 के आसपास के खेत हमेशा से पढ़त रहे है। जिसमें से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर हमेशा से जाते आते रहे है तथा पड़त भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करते चले आये है। यह कि मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। जबकि मौका रिपोर्ट कानूनगो, तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की जाना आवश्यक है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा पड़ोस के खे[illegible] है। इसके अभाव में अपूर्ण रिपोर्ट के आधार [illegible] नहीं है। यह कि प्रार्थीगण ने गलत एवं असत्य [illegible] है जो कतई खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र [illegible] कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

15

3. पैरोकार सरकार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 347 दिनांक 04.04.2024 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार– उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा जांच करवाई गई। प्रस्तुत मौका एवं जांच रिपोर्ट निम्नानुसार बिन्दुवार है– मुताबिक जाच रिपोर्ट ग्राम सामिया में ख.नं. 37 रकबा 1.4417 हैक्टेयर भूमि कन्हीराम पि० देवीलाल बगै. जाति धाकड नि० सामिया के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी आराजी ख.नं. 37 पर पहुंचने के लिए ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर रास्ता चाहता है। ख.नं. 709/28 रकबा 1.5176 हैक्ट. जो कि खातेदार गुड्डीबाई पुत्री परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, नन्दराम पि. देवीत्तिह हि. 1/5 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, प्रकाशचन्द पि० परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड, भगवानसिंह पि० परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी. बी. शाखा सुनेल, भवानीसिंह पि० जानकीलाल हि. 1/4 जाति धाकड, रामस्वरूप बाई पत्नि हरिसिंह हि. 1/10 जाति धाकड, शम्भूसिंह पि० देवीसिंह हि. 1/4 जाति धाकड बी.आर. के. जी. बी. शाखा सुनेल, सोहनबाई पत्नि परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड बीआर. के. जी.बी. शाखा सुनेल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर वादीगण ख.नं 34 की पूर्वी मेड जो कि उनकी स्वयं की खातेदारी में दर्ज है इसमें से होकर अप्रार्थीगण के ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर होकर अपनी आराजी ख.न. 37 पर पहुंचना चाहता है। ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड की कुल लम्बाई 132 फीट है ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 गुणा 12 यानि 1584 वर्गफीट यानि लगभग 0.0147 हैक्ट भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आती है।

तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 443 दिनांक 30.04.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार– उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का गादिया/भू अभि. निरी. सलोतिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है– प्रार्थी की भूमि ख.नं. 37 पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजी ख.नं. 37 पर पहुंचने के लिए प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर होकर अपनी आराजी भूमि पर पहुंचता था मौके पर वर्तमान में भी अप्रार्थीगण के आराजी ख.न. 709/28 की दक्षिणी मेड पर रास्ता बना हुआ है जिसको अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर रखा है। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए यही प्रचलित रास्ता था जिसे अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी की भूमि ख.नं. 37 पर पहुंच हेतु ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 132 फीट व चौडाई 12 फीट है। इस प्रकार ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 12 यानि 1584 वर्गफीट अर्थात 0.0147 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 7,20,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। **नोट–** ग्राम सामिया के आराजी ख.नं. 709/28 रकबा 1.5176 हैक्टेयर के खातेदा गुह्डीबाई हि 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, नन्दराम पि. देवीसिंह जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, प्रकाशचन्द पि. परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, भगवानसिंह पि. परथीसिंह हि 1/20 जाति धाकड रहन बी. आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, भवानीलाल पि. जानकीलाल हि 1/4 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, रामस्वरूप बाई पत्नि हरिसिंह रि. 1/10 जाति धाकड, शम्भूसिंह पि. देवीसिंह हि. 1/4 जाति धाकड रहन बी. आर. के. जी.बी शाखा सुनेल, सोहनबाई पुत्री परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड रहन सुनेल के नाम जमाबन्दी खाता सं. 66 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 937 दिनांक 24.07.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार– उक्त प्रकरण में हस्ताक्षरकर्ता मय पटवारी हल्का गादिया/भू अभि. निरी सलोतिया द्वारा ग्राम सामिया के आराजी ख.न. 37 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौका देखा गया जिसकी बिन्दूवार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है –प्रार्थी की भूमि ख.न. 37 पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा लट्ठा) [illegible] नहीं है। प्राथी की आराजी ख.नं. 37 पर प[illegible]की दक्षिणी मेड पर होकर अपनी आरा[illegible]र्तमान में भी अप्रार्थीगण के आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षि[illegible]ड पर रास्ता बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(17)

हुआ है जिसको अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर रखा है। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए यही प्रचलित रास्ता था जिसे अप्रार्थीगण ने अवरुद्ध कर दिया है। प्रार्थी की भूमि ख.न. 37 पर पहुंच हेतु ख.न. 709/28 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 132 फीट व चौडाई 12 फीट है। इस प्रकार सख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 व 12 यानि 1584 वर्गफीट अर्थात 0.0147 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 7,20.000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। **नोट–** ग्राम सामिया के आराजी ख.नं. 709/28 रकबा 1.5176 हैक्टेयर के खातेदा गुड्डीबाई हि 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, नन्दराग पि. देवीसिंह हि. 1/5 जाति धाकड रहन बी.आर. के.जी.बी. शाखा सुनेल, प्रकाशचन्द पि परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड रहन बी आर के.जी.बी शाखा सुनेल, भगवानसिह पि. परथीसिंह हि 1/20 जाति धाकड रहन बी आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, भवानीलाल पि. जानकीलाल हि. 1/4 जाति धाकड रहन बी. आर. के जी.बी. शाखा सुनेल, रामस्वरूप बाई पत्नि हरिसिंह हि. 1/10 जाति धाकड, शम्भूसिंह पि देवीसिंह हि. 1/4 जाति धाकड रहन बी. आर. के.जी.बी. शाखा सुनेल, सोहनबाई पुत्री परथीसिंह हि 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल के नाम जमाबन्दी खाता से 66 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। **नोट–** प्रतिवादी भगवानसिंह द्वारा मौके पर बताया गया कि जितनी भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है सतनी ही भूमि अगर वादीगण प्रतिवादीगण को देने को तैयार हो जाय तो यह रास्ता चालू कर दिया जावेगा। इस बारे में मौके पर उपस्थित वादीगण मोतीलाल से समझाईश कर चर्चा की गई जिस पर वादीगण सहमत नहीं हुए। मौके पर उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 1529 दिनांक 08.12.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार– उक्त प्रकरण [illegible] हस्ताक्षरकर्ता मय पटवारी हल्का गादिया/भू अभि. [illegible] द्वारा ग्राम सामिया के आराजी ख.नं. 37 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौका देखा गया, जिसकी विन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है– प्रार्थी की भूमि ख.नं. 37

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(12)

पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा लट्ठा) में कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी ख.नं. 37 पर पहुंचने के लिए प्रार्थी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर होकर अपनी आराजी भूमि पर पहुंचता था मौके पर वर्तमान में भी अप्रार्थीगण के आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर रास्ता बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में दक्षिणी मेड पर खाई बनी हुई है एवं मेहन्दी के पौधे लगे हुए हैं। प्रार्थी की भूमि ख.न. 37 पर पहुंच हेतु ख.न. 709/28 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 132 फीट व चौड़ाई 12 फीट है। इस प्रकार खसरा.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 व 12 यानि 1584 वर्गफीट अर्थात 0.0147 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 7,20,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है। नोट- ग्राम सामिया के आराजी ख.नं. 709/28 रकबा 1.5176 हैक्टेयर के खातेदा गुड्डीबाई हि 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, नन्दराम पि. देवीसिंह हि. 1/5 जाति धाकड रहन बी.आर. के.जी.बी. शाखा सुनेल, प्रकाशचन्द पि परथीसिंह हि. 1/20 जाति धाकड रहन बी आर के.जी. बी शाखा सुनेल, भगवानसिह पि. परथीसिंह हि 1/20 जाति धाकड रहन बी आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल, भवानीलाल पि. जानकीलाल हि. 1/4 जाति धाकड रहन बी. आर. के जी.बी. शाखा सुनेल, रामस्वरूप बाई पत्नि हरिसिंह हि. 1/10 जाति धाकड, शम्भूसिंह पि देवीसिंह हि. 1/4 जाति धाकड रहन बी. आर. के.जी.बी. शाखा सुनेल, सोहनबाई पुत्री परथीसिंह हि 1/20 जाति धाकड रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सुनेल के नाम जमाबन्दी खाता से 66 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नोट- प्रतिवादी भगवानसिंह द्वारा मौके पर बताया गया कि जितनी भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है उतनी ही भूमि अगर वादीगण प्रतिवादीगण को देने को तैयार हो जाय तो यह रास्ता चालू कर दिया जावेगा। इस बारे में मौके पर उपस्थित वादीगण मोतीलाल से समझाईश कर चर्चा की गई जिस पर वादीगण सहमत नहीं हुए। मौके पर उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम सामिया तहसील सुनेल के दो नजरी नक्शे, खाता सं. 9, 66 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 24.06.2022, पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.06.2022, अप्रमाणित लट्ठा नक्शा प्रति, कन्हीराम, रामनारायण, श्यामलाल, मोतीलाल, मनोहरलाल, मांगीबाई, मेहताबबाई के आधारकार्ड की छायाप्रतियां पेश की।

5. तहसीलदार सुनेल की ओर से मौका व जांच रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोट मय नजरी नक्शा, ग्राम सामिया के खाता सं. 9, 66 जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 18.07.2022 पेश की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 37 रकबा 1.4417 हेक्ट. तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने खेत तक पहूँचने के लिए मुख्य रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 34 की पश्चिम मेड के सहारे बने रास्ते से होता हुआ होकर अप्रार्थीगण के ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड पर बने अस्थायी रास्ते का उपयोग करते हुए ख.नं. 37 तक पहूँचते है लेकिन कुछ समय पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड पर बने प्रार्थीगण के उक्त अस्थायी रास्ते को जान बूझकर खाई खोदकर बंद कर दिया गया है और निकलने से मना कर दिया जिससे प्रार्थीगण का खेत रास्ते के अभाव में पडत पडा हुआ है। आगे तर्क किया कि स्वयं तहसीलदार सुनेल ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 08.12.2025 में एवं अप्रार्थीगण के अपत्ति प्रार्थना पत्र के बाद पेश नई मौका रिपोर्ट दिनांक [illegible] में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अति आवश्यकता है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक [illegible]3.02.2026 में स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(20)

स्वीकारा है कि अप्रार्थीगण ने ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड पर बने रास्ते को खाई खोदकर व मेहदी के पौधे लगाकर बंद कर दिया है। आगे तर्क किया कि प्रार्थी अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और मजबूरन भूमि पड़त पडी हुई है जिससे प्रार्थी के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थी की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। नवीन रास्ता चाहे जाने पर धारा 251 ए की सभी शर्तो को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर होता है ना कि तहसीलदार के उपर। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्पर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुए ख.नं. 37 तक कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 15 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खाते की आराजी ख.नं. 37 पर पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर आने जाने के लिए 15 फिट रास्ता 75 वर्षों से विद्यमान होने की बात कही है तथा इस सनातनी रास्ते में अप्रार्थीगण द्वारा खाई खोदने व मेहन्दी लागकार मार्ग अवरूद्ध करने की बात कही है जसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रको दर्ज किय जाकर माननीय न्यायालय ने तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने का आदेश दिया है जिसकी पालना में दिनांक 15.07.2022 व दिनांक 19.03.2024 को हल्का पटवारी ने मौके की रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 01.08.2024 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय पारित किया था जिसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा आर.ए.ए. कोटा में पेश करने पर दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय में इस दिशा निर्देश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

साथ कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट दोबारा तैयार करवाये और इसके बाद धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सुसंगत प्रवधानों के परिपेक्ष्य में पुनः नये सिये से निर्णय पारित करें। यह कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2025 को निर्णय पारित होने के बाद दिनांक 12.05.2025 को उक्त प्रकरण पुनः माननीय न्यायालय में दर्ज किया गया निर्णय की पालना में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। यह कि दिनांक 15.04.2022 को हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गयी थी इसमें हल्का पटवारी ने अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 703/28 की दक्षिणी मेड पर 7–8 फीट रास्ता होना व अपार्थीगण द्वारा अवरुद्ध करना बता रखा है। इस रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने यह कही भी नहीं बताया है कि अप्राण ने रास्ते में बाई खोद कर व मेहन्दी लगाकर रास्ते को अवरुद्ध करवा रखा है तथा इस रिपोर्ट में 140 फीट लम्बे रास्ते की आवश्यकता होना बताया है। यह कि इसके बाद दिनांक 19.03.2024 को हल्का पटवारी ने दोबार रिपोर्ट पेश की जिसमें अप्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर प्रार्थीगण खाते की आराजी में पहुंचना चाह रहे का अंकन किया है। इस रिपोर्ट में रास्ते होने का अंकन नहीं किया है। इस रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने लिखा है कि अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 709/28 में रास्ता दिया जा सकता है। इन दोनो रिपोर्टी में हल्का पटवारी ने यह कही भी नहीं लिखा है कि प्रार्थीगण को उनके खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है इस बात का कही भी अंकन नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थीगण नहे अपने प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट पेश किय गया है जिसमें अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 709/28 की पूवी मेड पर रास्ता बना हुआ है जो कि गांव से आता है जो कि आगे के खेतों की तरफ जाता है इस परिशिष्ट से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण की आराजी के पूर्वी मेड से प्रार्थीगण की आराजी नजदीक पड़[illegible] प्रार्थीगण को रास्ता मिल सकता है पूर्व में [illegible]जी खसरा नं. 709/28 की पूर्वी मेड [illegible] जाता था परन्तु प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार यहां से नहीं नि[illegible]कर अपने स्वयं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(22)

खाते की आराजी 34 से 37 में जाना चाहते है जबकि धारा 251ए का प्रावधान सुविधा देना नहीं है। खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचाना है परन्तु प्रार्थीगण धारा 251ए को हथियार बनाकर अपनी सुविधानुसार अपनी आराजी ख.नं. 34 से 37 में पहुंचना चाहते है। यह कि धारा 251ए यहां लागू होती है जहा पर खातेदार को उसकी जोत में जाने का रास्ता नहीं है यदि रास्ता पहले से ही हो और अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर रखा हो तो वह धारा 251 के तहत तहसीलदार के यहां आवेदन कर सकते है। यह कि उक्त प्रकरण में भी प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी की आराजी में पहले से ही रास्ता होना बता रहे है तथा अप्राथीगण द्वारा खाई खोद कर अवरूद्ध करना बताया है जो कि धारा 251ए के प्रावधानों के तहत नहीं आता है। यह कि प्रार्थीगण की पास में ही आराजी ख.नं. 34 है जिसमें सीधे ही आराजी ख. नं 37 में जाना चाहते है जबकि आराजी ख.नं. 37 में जाने का रास्ता अप्राथीगण की आराजी ख.नं. 709/28 के पूर्वी दिशा में स्थित आम रास्ते से उक्त आराजी की पूर्वी मेड़ पर होकर जाता है परन्तु प्रार्थीगण अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आराजी में जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग नहीं कर अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड़ पर रास्ता कायम करना चाहते है जो कि धारा 251ए के प्रावधानों में नहीं आता है। अतः अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग – प्रार्थीगण एवं पेरोकार [illegible] दोनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि [illegible] 37 तक [illegible] राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम सामि[illegible] तहसील सुनेल की वादग्रस्त भूमि के पेश खसरा नक्शा व नजरी नक्शे के अवलोकन से साबित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

23

है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 37 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 709/28 के पुर्वी दिशा में ख.नं. 34 व 816/36 की मध्य मेड से होता हुआ आम वैकल्यक रास्ता मौजूद है और प्रार्थीगण उक्त रास्ते से पहूँच सकते है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्राथीगण सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है।

तहसीलदार सुनेल द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 08.12.2025 में एवं अप्रार्थीगण के अपत्ति प्रार्थना पत्र के बाद पेश नई मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2026 में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु कोई रिकॉडेड रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि ख.नं. 709/28 की पूर्वी ओर ख.नं. 34 व 816/36 के मध्य मेड से होकर आम रास्ता होने का बहस में कथन किया है लेकिन ऐंसे किसी भी रास्ते का अंकन तहसीलदार सुनेल की किसी भी रिपोर्ट में नहीं है। लटठा नक्शा एवं आनलाईन नक्शे में भी ऐसा कोई रास्ता दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा भी उक्त रास्ते के संबंध में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। तहसीलदार सुनेल अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.02.2026 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अति आवश्यकता है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्वीकारा है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण ने ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड पर बने रास्ते को खाई खोदकर व मेहदी के पौधे लगाकर बंद कर दिया है जो पहले अस्थाई रूप से चालू था। अतः जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को खेत पर पहूँचने से रोकने के लिए अस्थाई रास्ते की जगह खाई खोदकर मेहदी के छोटे छोटे पौधे लगा दिये है **जो न्याय के उद्देश्य को विफल करने के समान है।** यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। **अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।**

(iv) लघुतम रास्ता होनाः– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक दिनांक 08.12.2025 एवं 23.02.2026 से जाहिर है कि लघुत्तम पहुँच रास्ता ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 37 तक होगा। **धारा 251 ए आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त जॉच के बाद 90 दिवस में निर्णित करना होता है और हस्तगत प्रकरण मूल रूप से करीब 45 माह से लंबित है।** उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रार्थीगण के ख.नं. 37 तक पहुंच मार्ग दिया जाना उचित प्रतीत होता है जिसकी लंबाई 132 फीट होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा 15 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

25

जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 37 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की **ख.नं. 709/28** की **दक्षिण मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर** से दिये जाने वाले 132 फीट लम्बे रास्ते की अप्रार्थीगण की भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थीगण की ख.नं. 709/28 से रास्ते में जाने वाले भूमि 132x10=1320 वर्ग फीट यानि 123 वर्ग मीटर भूमि की डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

9. धारा 251 ए आर.टीएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है –

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way- (1) Where- (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is **absolute necessity** and it is not for **mere convenient enjoyment** of holding; and (ii) particularly in case of a new way through other khatedar's holding, that **absence of alternative** ... approved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की प्रार्थी की आराजी ख.नं. 37 तक तक पहूँच हेतु चाहे गये रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

11. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सामिया तहसील सुनेल की अप्रार्थीगण की ख.नं. 709/28 की दक्षिण मेड़ के सहारे में रास्ते में आने वाली 132X 10 = 1320 वर्ग मीटर तथा 123 वर्ग मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

27

भूमि का नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner